उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-85 /2015/2826/92-1-2015-49(जॉच)/2012,
दिनांक: लखनऊ: 23 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री चन्दन लाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बस्ती (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा जनपद-बस्ती के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के लिए प्रथमदृष्टया: रू0-66,15,825.00 की शासकीय क्षति के लिए दोषी पाये जाने पर सी0एस0आर0 के नियम-351-ए के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2097/92-2012-49(जॉच)/2012, दिनांक 07-8-2012 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की विभागीय जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- विषयगत प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण कर पत्र दिनांक 02-7-2014 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री चन्दन लाल के विरूद्ध अधिरोपित कुल 06 आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

एतदर्थ, प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त, श्री चन्दन लाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बस्ती (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सी0एस0आर0 के नियम-351-ए के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2097/92-2012-49(जॉच)/2012, दिनांक 07-8-2012 द्वारा प्रचलित विषयगत अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-85/2015/2826(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- श्री चन्दन लाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बस्ती (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।